लेखराज जाट बनाम दीप चन्द कंजर वगैरा प्रकरण संख्या 46/2024 निगरानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2024	पत्रावली पेश हुई। निगराकार की ओर से जरिये अधिकवक्ता नमन ओझा एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विड्रो किये जाने पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण विड्रो किये जाने दिनांक 27.11.2024 को पेश हो। (राजेन्द्र सिंह शेखावत) जिला कलक्टर शाहपुरा	
27.11.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार उपस्थित। निगराकार लेखराज जाट पुत्र जगदीश चन्द्र जाट द्वारा पूर्व पेशी पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण विड्रो किये जाने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार द्वारा दिनांक दिनांक 05.11.2020 को उक्त निगरानी विरूद्ध गैर ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 दीप चन्द कंजर पुत्र रमेश कंजर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 05.08.2019 की गई। इसके पश्चात प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिनांक 03.04.2024 से बहस में चल रहा था। निगराकार द्वारा दिनांक 26.11.2024 को निगरानी विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। पूर्व में भी निगराकार द्वारा न्यायालय में पट्टे खारिज करने की निगरानियां लगाई व विड्रो कर ली गई। इस प्रकार निगराकार द्वारा निगरानी पेश करना व पट्टा खारिज करने के तथ्य व इस संबंध में दस्तावेज पेश कर बहस स्तर पर निगरानी विड्रो करने का ट्रेंड पाया गया। अतः न्यायिक प्रक्रिया के तहत निगराकार का प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। साथ ही विकास अधिकारी जहाजपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है उक्त प्रकरण में पट्टा आवंटन की प्रक्रिया व आवंटन का विश्लेषण करे। इस संदर्भ में की गई जांच के आधार पर विकास अधिकारी होने के नाते राज्य सरकार की महत्वपूर्ण आबादी भूमि में यदि गलत पट्टे जारी हुए है तो अपने दायित्व का निर्वाहन करते हुए अलग से निगरानी पेश करे। विकास अधिकारी जहाजपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी निगरानी पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। आदेशिका की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (राजेन्द्र सिंह शेखावत) जिला कलक्टर शाहपुरा जिला कलक्टर	